पत्रांक......................../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

Email Id: edu.jharkhand@gov.in, hrdjharkhand@gmail.com

-: आदेश :-

आ०सं०- 126 राँची, दिनांक : 29.6.22

श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्रांक 16012/16/2017-TC दिनांक 18.12.2020 के आलोक में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत् सभी जिलों के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित किए जाने एवं तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित अन्य गतिविधियों को ससमय निष्पादन कराने हेतु **राज्य नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम)** नामित किया जाता है।

राज्य नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला शिक्षा अधीक्षक से सम्पर्क कर तथा मासिक बैठक कराकर अपना प्रतिवेदन विभाग में समर्पित करेंगे। साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य सरकार के तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकॉनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) झारखण्ड के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम की गतिविधियों को संपादित कराना सुनिश्चित करेंगे।

29/6/22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 126/स०को० राँची, दिनांक : 29.6.22

प्रतिलिपिः

1. श्री सुनील कुमार, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,/अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक प्राथमिक शिक्षा/ राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकॉनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

29/6/22

सरकार के सचिव।